





JAI SHREE VILLAS SEC.-D

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 853/B, 853/4, 853/5 OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR



LAND USES ANALYSIS		
PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	12236.73	52.63 %
PARK	1164.25	05.01 %
M.T. & S.W.M.	35.55	00.15 %
ROAD	9805.47	42.21 %
TOTAL SCHEME AREA	23232.00	100.00 %

Area in Bigha = 17 Bigha



SH. PRITHVI RAJ
LICENCE No. JDA/TECH/2021/07
Plot No. 66, Laxmi Vihar
Kudi Bhagtasani, Jodhpur
(M) 9414134639, 9950780333

आवेदन क्रमांक LU 2021/2022-23/101179
दिनांक 13/12/22 में श्रीमान उपायुक्त महोदय
(E) के आदेश दिनांक 21/12/22 के अन्तर्गत में राजस्व
ग्राम जालामण्ड के खसरा नम्बर 853, 853/4, 853/5
क्षेत्रफल 12.00 बीघा प्रस्तुत ले आउट प्लान को
पटवारी हल्का 141410 द्वारा जारी प्रमाणित नक्शा
P.35 क्रमांक 553 दिनांक 23/12/22 मिलान कर
सीमाओं को लाल रंगी से मार्क A से किया
जाकर सुपर इन्चोर्ज/भौतिक स्थापन किया गया।
दिनांक 27/12/22 निरीक्षक (पू.क.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

एजेन्डा संख्या 13	बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
	27/07/2022	पूर	जालामण्ड	853/3 नवीन खसरा संख्या 853/3, 853/4, 853/5	12.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती सजुदी पत्नी श्री सोहनराम श्रीमती राधा पत्नी श्री केशवराज, श्रीमती लीला पत्नी श्री अमरनाथ मेघवाल					
विषय	राजस्व ग्राम जालामण्ड के खसरा संख्या 853/3 नवीन खसरा संख्या 853/3, 853/4 रकबा 12.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन बाबत।					
निर्णय	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध सर्वे मूल का मापनिकर 80 फीट रखा जाये तथा सड़क नये से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि नियुक्त समीप भवनायी जाये। 2. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार स्वटी लाईन के सहारे रोपटी कोरिडोर के उपरान्त 30-30 मीटर सड़क प्रस्तावित है जिसे योजना मानचित्र में दर्शाया जाये तथा आवेदित भूमि के दक्षिण से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सड़क को भी दर्शाया जाये। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.06.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कबरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जाये। 4. नियमानुसार आवेदक विकास जगहों की एजेंड में विनियम योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर बुखण्ड रकम में रकबे जाने के किन्हीं आवश्यक विवरण कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चिता के उपरान्त एहन मुस्त किया जायेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों को स्वीकार कर लिया जाये। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि को पर्याप्त अन्य राजस्व प्रस्तावित, बाद अर्थात्, एन मासिकता शक की समस्त दिग्दर्शायी प्रार्थी को स्वयं को होनी। प्रार्थी से इस बाबत शक-वश लिया जाये कि प्रस्तावित भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायलय में कोई विवाद लक्षित है। इस बाबत जोन स्तर पर शक-वश लेखर की बट्टा जारी किया जाये। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रस्तावित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।					

JDA/Jodhpur/Zone2/610
13/12/2022

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (जोन-2)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर